1

शिवनारायण विरूद्ध शकुंतलाबाई आदि

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक – निग0 3719/–एक/14 जिला – उज्जैन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
1/10/14	प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया एवं आलोच्य आदेश का अवलोकन किया । यह प्रकरण संहिता की धारा 178 का है, जिसकी सुनवाई की अधिकारिता अधीनस्थ न्यायालय को है । तहसीलदार ने उभयपक्षों को सुनने के उपरांत तथा आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किए गए प्रकरण क्रमांक 17 ए/2013/अपील मे पारित आदेश दिनांक 13–5–14 के अवलोकन उपरांत प्रकरण को इस आधार पर प्रचलनशील माना है कि बटवारा प्रकरण पर स्थगन या यथास्थिति का आदेश नहीं है और उन्होंने व्यवहार न्यायालय के आदेश का पालन सुनिश्चित करने की शर्त पर प्रकरण को प्रचलनशील मान्य किया है तथा आवेदक को मूल आवेदन का जबाव पेश करने हेतु प्रकरण नियत किया है । प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए तहसील न्यायालय की कार्यवाही में प्रथमदृष्टया कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती है । परिणामतः यह निगरानी अग्राह्य की जाती है । आवेदक सूचि हों प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो । प्रशा0 सदस्य,	